



2025: CGHC: 60857

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक 884, वर्ष 2022

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक : 04-11-2025

निर्णय पारित करने का दिनांक : 15-12-2025

रोहित चौहान, पिता मंगल चौहान, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी भूपदेवपुर, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

-----अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

-----प्रत्यर्थी

(वाद शीर्षक, प्रकरण सूचना प्रणाली से प्राप्त किया गया है।)

अपीलार्थी हेतु: श्री पुनीत रूपारेल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी हेतु: सुश्री प्रभा शर्मा, पैनल अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी

सी.ए.वी. निर्णय

1. इस अपील के माध्यम से दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश की उस आज्ञा को चुनौती दी गई है, जो अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित विशेष न्यायालय (POCSO), रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (जिसे आगे 'फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा विशेष आपराधिक मामला (पॉक्सो अधिनियम) क्रमांक 63/2019 में दिनांक 20.05.2022 को पारित की गई थी, जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्त को निम्नलिखित रीति से दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया गया है:—

दोषसिद्धि	दंड
भा.दं.सं. की धारा 354 के अंतर्गत	3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत	3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।



दोनों कारावास की सजाएँ साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था।

2. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना भूपदेवपुर में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 28.11.2019 को लगभग शाम 4:00 बजे, जब वह अपनी बहन और सहेली के साथ घर लौट रही थी और वे दातार मजार के पास पहुँचे थे, तब अचानक अपीलार्थी अपने मित्र के वाहन से उतरा और उसकी ओर आया। उसने "आई लव यू" कहते हुए उसे रोका, उसका अपमान करने के आशय से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। जब पीड़िता ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने उसे अपशब्द कहे। उस समय पीड़िता की छोटी बहन और उसकी सहेली ने बीच-बचाव किया और डर के कारण वे दातार मजार के अंदर चले गए। कुछ समय बाद, पीड़िता अपनी बहन और सहेली के साथ घर लौटी और अपनी माँ को पूरी घटना बताई। इसके बाद, उसकी माँ ने उसके पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। तत्पश्चात, पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पहुँची और अपीलार्थी के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 294 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे आगे 'पॉक्सो अधिनियम' कहा गया है) की धारा 8 के तहत प्राथमिकी (प्रदर्श पी-2) पंजीकृत की गई। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता की आयु से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 354, 294, 341 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
3. विद्वान फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 354 एवं 294 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप विरचित किए। अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक किया और विचारण की माँग की है।
4. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन ने कुल 8 गवाहों का परीक्षण किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी/अभियुक्त का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में अपने विरुद्ध आने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फँसाए जाने का तर्क दिया।



अपीलार्थी ने अपने मामले के समर्थन में किसी भी बचाव पक्ष के गवाह का परीक्षण नहीं कराया है।

5. फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात, अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20.05.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 294 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया, किंतु उसे भा.दं.सं. की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे इस निर्णय के प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लिखित दंड से दंडादिष्ट किया। उक्त निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा इसे चुनौती देते हुए वर्तमान आपराधिक अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय द्वारा पीड़िता को केवल उसके दाखिल-खारिज रजिस्टर (प्रदर्श पी-5) और कक्षा 8 वीं (वस्तु ए-1) तथा 9 वीं (वस्तु ए-2) की अंकसूचियों के आधार पर अवयस्क माना गया है। किंतु, न तो इन्हें विधि के अनुसार सिद्ध किया गया है और न ही अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि स्कूल अभिलेख में उक्त जन्म तिथि (अर्थात् 15-06-2005) किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज की गई थी, जबकि पीड़िता के पिता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि पीड़िता का जन्म वर्ष 2003 है। इसके बावजूद, विद्वान फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय द्वारा उसे अवयस्क माना गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप यह है कि उसने पीड़िता का हाथ पकड़कर और उसे "आई लव यू" बोलकर लैंगिक आशय से उस पर हमला किया, जबकि "आई लव यू" कहना स्वतः ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 में यथा-परिभाषित लैंगिक हमले का अपराध नहीं है। उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि, यद्यपि स्वतंत्र साक्षी अर्थात् पीड़िता की सहेली (अ.सा.-8) घटनास्थल पर उपस्थित थी, किंतु उसने यह नहीं बताया कि अपीलार्थी ने पीड़िता के विरुद्ध किस अश्लील भाषा का प्रयोग किया था और उसने पीड़िता के इस कथन का भी समर्थन नहीं किया है कि अपीलार्थी ने उसका हाथ पकड़ा था। यद्यपि, पीड़िता की बहन (अ.सा.-4) के भी घटनास्थल पर उपस्थित होने की बात कही गई है और उसने बयान दिया है कि अपीलार्थी ने पीड़िता का हाथ पकड़ा था, परंतु वह एक 'हितबद्ध साक्षी' है, क्योंकि वह पीड़िता की बहन है। अतः, पीड़िता और हितबद्ध साक्षी के ऐसे बयानों के आधार पर, यह संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी ने लैंगिक आशय से पीड़िता का हाथ पकड़ा था। इसके बावजूद, विद्वान फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने



अपीलार्थी को पूर्वोक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया है, जो कि दोषपूर्ण और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि आक्षेपित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी को कथित आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 'छत्तीसगढ़ राज्य बनाम रूपेंद्र दास मानिकपुरी' (दोषमुक्ति अपील क्रमांक 215/2022, निर्णय दिनांक 22-07-2025) के मामले में दिए गए निर्णय, और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ द्वारा 'रवींद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य' (दांडिक अपील क्रमांक 471/2017, निर्णय दिनांक 30-06-2025) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है।

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि पीड़िता (अ.सा.-1), उसकी बहन (अ.सा.-4) और उसकी सहेली (अ.सा.-8), जो घटनास्थल पर उपस्थित थे, ने विशिष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने न केवल पीड़िता को अश्लील गालियां दीं, बल्कि लैंगिक आशय से उसका हाथ भी पकड़ा। पीड़िता और उसकी बहन ने विशेष रूप से यह सिद्ध किया है कि अपीलार्थी पीड़िता को "आई लव यू" कह रहा था और इस प्रकार उसने उसकी लज्जा भंग की, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एक तर्कसंगत निर्णय है, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके द्वारा ऊपर प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अत्यंत सावधानीपूर्वक फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

9. अभियोजन के मामले के अनुसार, घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थी। फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने पीड़िता के दाखिल-खारिज रजिस्टर (प्रदर्श पी-5-C) और उसकी कक्षा 8 वीं एवं 9 वीं की अंकसूचियों के आधार पर उसे अवयस्क माना है, जिनमें उसकी जन्म तिथि '15-06-2005' अंकित है। पीड़िता (अ.सा. 1) ने भी अपनी जन्म तिथि '15-06-2005' बताई है, किंतु उसकी माँ (अ.सा. 3), उसकी बहन (अ.सा. 4) और उसके पिता (अ.सा. 5) ने उसकी जन्म तिथि नहीं बताई है, बल्कि उसकी माँ और पिता के अनुसार, सितंबर/अक्टूबर 2021 के महीने में अपना बयान दर्ज कराते समय पीड़िता की आयु 16 वर्ष थी। परीक्षण के दौरान, पीड़िता की अंकसूचियाँ दिखाए जाने पर जब पीड़िता के पिता (अ.सा. 5) से पूछा गया, तो उन्होंने पैरा 5 में बताया कि पीड़िता का



जन्म वर्ष 2003 था, जबकि उसकी अंकसूचियों (वस्तु ए-1 और A-2) तथा स्कूल अभिलेख में उसका जन्म वर्ष '2005' उल्लेखित है। इस प्रकार, पीड़िता के जन्म वर्ष के संबंध में सामने आए उक्त विरोधाभासी तथ्यों से यह संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता कि पीड़िता के स्कूल अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि '15-06-2005' ही उसकी वास्तविक जन्म तिथि है। इसके अतिरिक्त, यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि किस दस्तावेज के आधार पर स्कूल अभिलेख में पीड़िता की जन्म तिथि दर्ज की गई है। अतः, विद्वान फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय द्वारा घटना की तिथि पर पीड़िता को अवयस्क मानने का निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है कि घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थी। अतः, विद्वान फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के उस निष्कर्ष को निरस्त किया जाता है जिसमें घटना की तिथि पर पीड़िता को अवयस्क माना गया था।

10. चूँकि विद्वान फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पीड़िता घटना की तिथि पर अवयस्क थी, पहले ही निरस्त किया जा चुका है, अतः पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

11. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि का प्रश्न है, पीड़िता (अ.सा. 1) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि घटना के दिन लगभग शाम 4:00 बजे, जब वह अपनी छोटी बहन और सहेली के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, अपीलार्थी एक वाहन पर आया और 'मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू' कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने इस पर आपत्ति जताई, तो उसने उसे अपशब्द कहे। उसकी बहन और सहेली ने उसका बचाव किया। तत्पश्चात, वे डर के मारे एक मजार के अंदर चले गए। उसके कथन को उसकी छोटी बहन (अ.सा. 4) और सहेली (अ.सा. 8) से भी समर्थन प्राप्त होता है, जो घटनास्थल पर उपस्थित थीं। उसकी माता (अ.सा. 3) और उसके पिता (अ.सा. 5) ने भी उक्त तथ्य का समर्थन किया है, जिन्हें पीड़िता ने घटना के बारे में बताया था।

12. पीड़िता (अ.सा. 1), उसकी बहन (अ.सा. 4) और सहेली (अ.सा. 8) ने स्वीकार किया है कि मजार पर भीड़ थी, किंतु अभियोजन द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है; तथापि, केवल इसी आधार पर पीड़िता के उक्त अभिसाक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे उसकी बहन (अ.सा. 4) और सहेली (अ.सा. 8) का



समर्थन प्राप्त है। उन्होंने प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्य के संबंध में दिए गए नकारात्मक सुझावों से इनकार किया है।

13. पीड़िता की छोटी बहन (अ.सा. 4) और उसकी सहेली (अ.सा. 8) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि पीड़िता का हाथ पकड़ने के बाद, अपीलार्थी ने 'आई लव यू' कहते हुए उसे अपनी ओर खींचा। यद्यपि, पीड़िता (अ.सा. 1) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह नहीं कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने उसे अपनी ओर खींचा था, किंतु यह तथ्य उसके द्वारा लिखित शिकायत प्रदर्श पी-1 में वर्णित किया गया था, अतः उसके अभिसाक्ष्य में उक्त तथ्य का लोप अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करेगा। पीड़िता (अ.सा. 1), उसकी बहन (अ.सा. 4) और उसकी सहेली (अ.सा. 8) की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी निकलकर नहीं आया है कि घर लौटते समय अपीलार्थी ने पीड़िता का हाथ नहीं पकड़ा था और 'आई लव यू' कहते हुए उसे अपनी ओर नहीं खींचा था।

14. वर्तमान मामले में विचारणीय मुख्य बिंदु यह है कि क्या अपीलार्थी का उपरोक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध गठित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 इस प्रकार है:—

"354. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग— जो कोई किसी स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, इस आशय से या यह जानते हुए कि वह तद्द्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।"

15. उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमले या आपराधिक बल के प्रयोग को दंडनीय बनाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं:—

- i. हमला किसी स्त्री पर होना चाहिए;
- ii. स्त्री पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया होना चाहिए; तथा
- iii. स्त्री पर आपराधिक बल का प्रयोग इस आशय से किया गया होना चाहिए कि उससे उसकी लज्जा भंग हो।



16. उक्त प्रावधान में प्रयुक्त 'लज्जा' शब्द पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजू पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) 4 SCC 371 के मामले में पैराग्राफ 12, 13, 14 और 15 में निम्नानुसार निर्धारित किया है:—

"12. स्त्री की लज्जा भंग करने का क्या अर्थ है, यह कहीं भी परिभाषित नहीं है। स्त्री की लज्जा का सार उसका 'लिंग' है। अभियुक्त का दोषपूर्ण आशय ही इस मामले का मुख्य केंद्र है। स्त्री की प्रतिक्रिया अत्यंत प्रासंगिक है, परंतु इसकी अनुपस्थिति सदैव निर्णायक नहीं होती। इस धारा में 'लज्जा' एक ऐसा गुण है जो एक वर्ग के रूप में स्त्री जाति से जुड़ा है। यह एक ऐसा गुण है जो किसी स्त्री को उसके लिंग के कारण प्राप्त होता है। किसी स्त्री को खींचना, उसकी साड़ी हटाना और साथ ही संभोग का अनुरोध करना, ऐसा कृत्य है जो स्त्री की लज्जा भंग करने की श्रेणी में आया; और यह ज्ञान कि लज्जा भंग होने की संभावना है, अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है, भले ही ऐसा करने का कोई सुविचारित आशय केवल उसी उद्देश्य के लिए न हो। जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, 'लज्जा' शब्द को भा.दं.सं. में परिभाषित नहीं किया गया है। 'द शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी' (तीसरा संस्करण) एक स्त्री के संबंध में शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है:

'व्यवहार और आचरण में शालीन; ढीठ या कामुक नहीं; संकोची; पूर्णतः पवित्र।'

13. 'लज्जा' को शालीन होने के गुण के रूप में परिभाषित किया गया है; और एक स्त्री के संबंध में, "व्यवहार की स्त्रीयोचित शालीनता; विचार, वाणी और आचरण की पूर्ण शुचिता"। यह अपवित्र या अभद्र सुझावों के प्रति स्वाभाविक घृणा से उत्पन्न होने वाला संकोच या शर्म का भाव है। जैसा कि न्यायमूर्ति पैटसन ने आर. बनाम जेम्स लॉयड [(1836) 7 C&P 317 : 173 ER 141] में अवलोकन किया था:

बलात्कार करने के आशय से किए गए हमले के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि जब अभियुक्त ने अभियोक्त्री को पकड़ा, तो न केवल उसकी इच्छा उसकी देह पर अपनी वासना तृप्त करने की थी, बल्कि उसका आशय हर स्थिति में और उसकी





ओर से किसी भी प्रतिरोध के बावजूद ऐसा करने का था।

बलात्कार के प्रयास और अश्लील हमले के अपराध के बीच अंतर का बिंदु यह है कि अभियुक्त की ओर से कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे यह प्रदर्शित हो कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने ही वाला था।"

14. 'वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज' लज्जा को "अभद्रता, अशिष्टता या अश्लीलता से मुक्ति: वेशभूषा, वाणी या आचरण में औचित्य के प्रति सम्मान" के रूप में परिभाषित करती है। 'ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी' (1933 संस्करण) में "लज्जा" शब्द का अर्थ "व्यवहार की स्त्रीयोचित शालीनता; विचार, वाणी और आचरण की पूर्ण शुचिता (स्त्री या पुरुष में); अपवित्र या अभद्र सुझावों के प्रति स्वाभाविक घृणा से उत्पन्न होने वाला संकोच या लज्जा का भाव" दिया गया है।

15. **पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह [AIR 1967 SC 63 : 1967 Cri LJ 1]** के मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या साढ़े सात महीने की एक बालिका के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वह "लज्जा" से संपन्न है, जिसे भंग किया जा सकता है। उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुमत का मत यह था कि जब किसी स्त्री के प्रति या उसकी उपस्थिति में किया गया कोई भी कृत्य मानव जाति की सामान्य धारणाओं के अनुसार स्पष्ट रूप से लैंगिकता का सूचक हो, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 की परिधि में आना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संदर्भित "मानव जाति की सामान्य धारणाओं" को समकालीन सामाजिक मानकों द्वारा मापा जाना चाहिए। उक्त मामले में आगे यह अवलोकन किया गया कि स्त्री की लज्जा का सार उसका लिंग है और अपने जन्म से ही वह उस लज्जा को धारण करती है जो उसके लिंग का गुण है। "लज्जा" के उपरोक्त शब्दकोश अर्थ और **मेजर सिंह मामले [AIR 1967 SC 63 : 1967 Cri LJ 1]** में इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या से, यह सुनिश्चित करने का अंतिम परीक्षण कि क्या लज्जा भंग हुई है, यह है कि क्या अपराधी का कृत्य ऐसा है जिसे किसी स्त्री की शालीनता की भावना को आघात पहुँचाने में सक्षम माना जा सकता है। उपरोक्त स्थिति को **रूपन देओल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल [(1995) 6 SCC 194 : 1995 SCC (Cri) 1059]** में भी संज्ञान में लिया गया था। जब वर्तमान मामले में संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए





उपरोक्त परीक्षण लागू किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी के कृत्य और प्रारंभ से ही उसके द्वारा लगातार निभाई गई ठोस भूमिका ने व्यक्तियों और मस्तिष्कों के सम्मिलन को भी सिद्ध किया है और इस प्रकार यह "उसकी लज्जा भंग करने" की कोटि में आता है क्योंकि यह नारीचित शालीनता की सामान्य भावना का अपमान था..."

17. माननीय शीर्ष अदालत द्वारा 'लज्जा' की उक्त व्याख्या पर विचार करने के उपरांत, यदि वर्तमान मामले के साक्ष्य पर विचार किया जाए, तो यह पाया जाता है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने न केवल पीड़िता का हाथ पकड़ा, बल्कि उसने 'आई लव यू' कहते हुए उसे अपनी ओर खींचा भी। किसी भी लड़की, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की लड़की के साथ एक युवक का ऐसा व्यवहार अत्यंत आपत्तिजनक माना जाता है। अपीलार्थी के ऐसे आपत्तिजनक और अशोभनीय व्यवहार के कारण पीड़िता (अ.सा. 1), उसकी बहन (अ.सा. 4) और उसकी सहेली (अ.सा. 8) भयभीत हो गए और एक मजार के अंदर चले गए। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के साथ किया गया कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि यह उसके द्वारा पीड़िता की लज्जा भंग करने के लिए किया गया था। **छत्तीसगढ़ राज्य बनाम रूपेंद्र दास मानिकपुरी (पूर्वोक्त)** के मामले में, अभियुक्त ने अपने प्यार का इजहार करते हुए चिल्लाकर पीड़िता से कहा था "xxxx, आई लव यू (चिह्न xxxx अभियोक्त्री के नाम को दर्शाता है)", वहाँ अभियुक्त ने पीड़िता पर हमला नहीं किया था और न ही उसका हाथ पकड़ा था, ऐसी स्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निर्धारित किया था कि अभियुक्त की केवल कथित अभिव्यक्ति पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत यथा-प्रावधानित लैंगिक हमले का अपराध गठित नहीं करेगी। परंतु वर्तमान मामले में, अपीलार्थी अभियुक्त ने न केवल 'आई लव यू' कहा, बल्कि उसका हाथ भी पकड़ा और 'आई लव यू' कहते हुए उसे अपनी ओर खींचा, इसलिए उपरोक्त निर्णय यहाँ अपीलार्थी अभियुक्त के समर्थन में नहीं आता है।

18. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **रवींद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य (पूर्वोक्त)** के मामले में प्रस्तुत अन्य न्याय दृष्टांत भी यहाँ अपीलार्थी/अभियुक्त की सहायता नहीं करते हैं क्योंकि उक्त मामले में अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 354-क(i) के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था, परंतु वर्तमान मामले में अपीलार्थी पर उक्त अपराध का न तो आरोप लगाया गया है और न ही उसे उसके लिए दोषसिद्ध किया गया है, बल्कि उसे भा.दं.सं. की धारा 354 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।



19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, यह पाया जाता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि अभियोजन घटना की तिथि पर पीड़िता को अवयस्क सिद्ध करने में विफल रहा है, परंतु विद्वान फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने उसे भा.दं.सं. की धारा 354 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः इसे पुष्ट किया जाता है।

20. विद्वान फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 354 के अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया है, जो मामले के तथ्यों के अनुपात में अत्यधिक प्रतीत होता है, क्योंकि उसने केवल पीड़िता का हाथ पकड़ा और 'आई लव यू' कहते हुए उसे अपनी ओर खींचा था। इसके अतिरिक्त, उसके द्वारा कोई अन्य आपत्तिजनक कृत्य नहीं किया गया था। घटना के समय अपीलार्थी 19 वर्ष का युवक था। इसलिए, अपीलार्थी के 3 वर्ष के सश्रम कारावास के दंडादेश को बरकरार रखने के बजाय, यदि उसके जेल दंड को 3 वर्ष के सश्रम कारावास से घटाकर 1 वर्ष का सश्रम कारावास कर दिया जाता है, तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

21. परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के अपराध हेतु अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को निरस्त किया जाता है। तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि को पुष्ट किया जाता है, किंतु उक्त अपराध हेतु फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अधिरोपित 3 वर्ष के सश्रम कारावास के दंडादेश को संशोधित किया जाता है और उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है। अर्थदंड का दंडादेश, व्यतिक्रम की शर्त एवं आक्षेपित निर्णय के अन्य निबंधन यथावत रहेंगे।

22. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है। उसे निर्देशित किया जाता है कि वह शेष कारावास की अवधि, यदि कोई हो, भुगतने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करे।

23. संबंधित फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का अभिलेख, इस निर्णय की प्रति के साथ अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल वापस भेजा जाए।

सही /-

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

